<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण कः – 168 / 11</u> संस्थापन दिनांकः – 21 / 06 / 11 फाईलिंग नं. 233504000082011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतुल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

अजाबराव पिता झापा कुंबी उम्र 35 वर्ष, निवासी सोनतलाई, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 26.03.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.06.2011 को दिन के करीब 10 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सूचनाकर्ता धर्मराज का खेत ग्राम सोनतलाई में सूचनाकर्ता धर्मराज को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2011 को फरियादी धर्मराज ने थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 10.06.2011 को सुबह 10 बजे उसके खेत में मेड़ बंधान का कार्य कराया जा रहा था तभी उसके खेत की मिट्टी अजाबराव के खेत पर चली गयी जिस पर अजाबराव गाली गुप्तार करने लगा। फरियादी द्वारा उसे गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे लात घुसो से मारपीट किया। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को रोजनामचा सान्हा क. 439 में दर्ज कर फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मेडिकल परीक्षण में फरियादी को फेक्चर पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 176/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर सूचनाकर्ता धर्मराज को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

- 5 धर्मराज (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी गर्दन दबा दी थी, लात घुसों से मारपीट की थी। लकड़ी उटाकर बांये पैर के घुटने पर मारा था जिससे उसके कंधे एवं बांये पैर के घुटने के पास चोट आयी थी। मारपीट से उसके बांये कंधे की हड्डी टूट गयी थी। गुरूदयाल (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने धर्मराज को लाठी से हाथ, पीठ, कंधे पर मारा जिससे उसे शरीर के विभिन्न भाग पर चोट आयी थी।
- 6 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 10.06.2011 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत धर्मराज का परीक्षण किया था जिसमें आहत के बांये घुटने के नीचे पैर पर 2 गुणा 2 सेमी. तथा दांहिने कंधे के जोड़ पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन पाई थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना संभावित तथा उसकी प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी। उक्त साक्षी ने चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

7

डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.—६) ने उसके न्यायालयीन कथनों में

प्रकट किया है कि दिनांक 13.06.20011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत धर्मराज को डॉ. रोहित ने दांहिने कंधे के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका एक्सरे प्लेट क. 4481 है। उक्त साक्षी ने एक्सरे में आहत के दांहिनी स्कैपूला हड्डी टूटी होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) तथा साक्षी धर्मराज एवं गुरूदयाल के कथनों से आहत धर्मराज को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

- 8 बसंत मिरासे (अ.सा.—7) ने दिनांक 16.06.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 10.06.2011 को प्रार्थी धर्मराज ने अजाबराव द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट लेख कराये जाने उसने प्रार्थी का मेडिकल परीक्षण कराया था जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा फेक्चर होना लेख करने पर उसने दिनांक 16.06.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—6) लेख की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 9 लख्खू साहू (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 16. 06.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 176/11 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—1) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—5) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।
- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी धर्मराज एवं अन्य साक्षियों के कथनों में पर्याप्त भिन्नता है। फरियादी की अभियुक्त से रंजिश है इसलिए उसे झूठा फंसाया गया है। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी राजेश (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह फरियादी धर्मराज के खेत में मेड़ बांधने का काम कर रहा था। थोड़ी सी मिट्टी अभियुक्त अजाबराव के खेत में चली गयी तब अभियुक्त अजाबराव ने धर्मराज से कहा कि मेरी मेड़ पर मिट्टी क्यों डाली तो धर्मराज ने अभियुक्त अजाबराव से विवाद किया और पहले धर्मराज ने ही अजाबराव को मारा था और जब अजाबराव लकड़ी मारने के लिए उठाया तब उसको सभी लोगों ने पकड़ लिया था। उसके समक्ष अभियुक्त अजाबराव ने कोई मारपीट नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी और न ही पुलिस को बयान दिये थे। इस प्रकार उक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12 धर्मराज (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत पर मेड़ बंधाने का कार्य कर रहा था। तभी मेड़ की मिट्टी अभियुक्त अजाबराव के खेत में चली गयी। अभियुक्त ने उसे इसी बात पर से गाली दी। उसकी गर्दन को दबा दिया, लात घुसों से मारा, मिट्टी के ढेर पर पटक दिया। लकड़ी से बांये पैर के घुटने और बांये कंधे पर मारा। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसका एक्सरे हुआ था, उसके बांये कंधे की हड़डी टूट गयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। पुलिस ने नक्शा उसके सामने तैयार किया था। साक्षी गुरूदयाल (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय फरियादी के खेत पर मेड़ बांधने का काम चल रहा था। थोड़ी सी मिट्टी अभियुक्त के खेत पर चली गयी। इसी बात पर से अभियुक्त ने पहले धर्मराज के साथ लाठी से मारपीट की फिर जब उसकी पत्नी बचाने के लिए आयी तो उसे भी मारा।

धर्मराज (अ.सा.–1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसका खेत और अभियुक्त के खेत की मेड़ लगी हुई है। मेड़ बंधान बांधने के लिए खेत की मिट्टी खोदकर मेड़ पर बांध रहे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे घूटने में चोट मिट्टी में गिरने के कारण आयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि यदि इस प्रकरण में अभियुक्त उसे खर्चा दे देता तो वह उससे राजीनामा कर लेता। घटना के आधे घंटे बाद वह घर आ गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर अभियुक्त का भाई प्रेमराव नहीं था। जब अभियुक्त ने उसे मार दिया और लकड़ी से मार रहा था तब प्रेमराव आया था। मौके पर गुरूदयाल था बाकी लोग अभियुक्त द्वारा उसे दचड़ देने के बाद आये थे। बाकी लोग 15 से 20 फिट दूरी पर काम कर रहे थे। पैरा क. 10 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि अभियुक्त ने उसे लात घुसों से मारा जिससे उसके बांये हाथ और पैर में चोट आयी थी। यदि न लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी से यह प्रश्न किये जाने पर कि चोट लकड़ी मारने से आयी थी या दचड़ दिये जाने से आयी थी। तब साक्षी ने कहा कि कैसे आयी थी नहीं मालूम लेकिन दचड़ देने से वह बेहोश हो गया था। फिर उठाया और उसके बाद लकड़ी से मारने लगा। इस सुझाव को गलत बताया है कि बोरी बंधान वाली मेड़ की खेत में अचानक कुछ गिर गया था जिससे उसके बांये पैर और बांये हाथ में चोट आयी थी।

14 गुरूदयाल (अ.सा.—2) जो कि मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी है, साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि 50—60 मजदूर काम कर रहे थे किसी ने बचाया नहीं और उसने भी नहीं बचाया। यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आपने बीच बचाव क्यों नहीं किया तो साक्षी ने यह कहा कि वह बीच में जाकर मार नहीं खाता। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने धर्मराज की चोटों को नहीं देखा था परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि लामा झूमी में धर्मराज गिर गया था जिससे उसे चोटें आयी थी। धर्मराज ने भी उसे नहीं बताया था कि उसे चोटें कहां—कहां आयी।

बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में फरियादी की जमीन अभियुक्त को बेचे जाने के संबंध में बयाना चिट्ठी बनी थी परंत् अभियुक्त अजाबराव ने रजिस्द्री नहीं कराया तब बयाना चिट्ठी के पैसे उससे मांगे गये जो फरियादी ने वापस नहीं किये इसी बात पर से दोनों के बीच में रंजिश हो गयी और फरियादी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठी शिकायत की गयी है। साथ ही उपर्युक्त तथ्य के उपर ही बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्त अजाबराव का परीक्षण कराया है। अजाबराव (ब.सा.–1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में बयाना चिट्ठी और इकरारनामा प्रस्तुत किये गये है जो कि कमशः प्रदर्श डी-2 लगायत प्रदर्श डी-5 है। फरियादी से जमीन खरीदने का सौदा हुआ था और उसने पैसे भी दिये थे परंतू फरियादी ने बयाना चिट्ठी के पैसे भी वापस नहीं किये और जमीन की रंजिस्ट्री भी नहीं की। जब उसने रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो उसके उपर यह झूठा प्रकरण बना दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-2 लगायत प्रदर्श डी-5 के दस्तावेजों को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। जिस जमीन को खरीदने का सौदा हुआ था वह फरियादी और उसके परिवार की शामिलशरीक की भूमि थी। इस सुझाव गलत बताया है कि उसने फरियादी के साथ मारपीट की थीं।

वचाव अधिवक्ता के तर्क एवं बचाव साक्षी अजाबराव (ब.सा.—1) द्व ारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में फरियादी धर्मराज (अ.सा.—1) का प्रतिपरीक्षण का पैरा क. 12 अवलोकनीय है जिसमें साक्षी धर्मराज ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त से उसका जमीन बेचने का सौदा हुआ था जिसके संबंध में बयाना चिट्ठी बनी थी। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। स्वतः कहा कि जमीन की रजिस्ट्री करने गये थे परंतु अजाबराव पैसा लेकर नहीं आया था। बयाना चिट्ठी में उसने अजाबराव से दस हजार रूपये लिए थे जिसे वापस नहीं किये। अभियुक्त अजाबराव ने बयाने में दिये पैसे मांगे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि पैसे वापस नहीं दिये इसलिए अजाबराव से रंजिश हो गयी। स्वतः कहा कि अजाबराव को पैसे नहीं दिये इसलिए अजाबराव से समझौता हुआ कि वह तीन साल तक उसका खेत जोतेगा तो पैसे अदा हो जायेंगे। उपर्युक्त स्थिति में उभयपक्ष के मध्य जमीन को लेकर बयान चिट्ठी बनना स्वीकृत है परंतु फरियादी धर्मराज ने अपने कथनों में इस सुझाव को गलत बताया है कि बयान चिट्ठी के पैसे न देने के कारण उसकी अजाबराव से रंजिश है। साक्षी ने अपने कथनों में बयाना चिट्ठी के पैसों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है कि अभियुक्त अजाबराव के द्वारा तीन साल तक उसका खेत जोता जायेगा ताकि उसके पैसे अदा हो जाये। ऐसी स्थिति में बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत न होने से अमान्य किया जाता है।

प्रकरण में फरियादी धर्मराज (अ.सा.-1) अभियुक्त द्वारा उसे उसके खेत पर मिट्टी गिर जाने की बात पर से मारपीट किये जाने के कथन पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी गुरूदयाल (अ.सा.–2) के कथनों से भी साक्षी के कथनों का समर्थन हुआ है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है एवं फरियादी के द्वारा घटना की सूचना तत्काल पश्चात थाने में दी गयी है जिससे कि अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी प्रकट नहीं हो रहा है। यद्यपि फरियादी धर्मराज ने न्यायालय में कथन बढाचढाकर किये हैं परंत् यह एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। हर व्यक्ति किसी भी घटना को बढ़ाचढ़ाकर ही बताता है। मात्र अतिश्योक्तिपूर्ण कथन से उसकी संपूर्ण साक्ष्य प्रभावित नहीं हो जाती है। फरियादी धर्मराज ने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त के द्वारा उसे लात घूसे एवं लकड़ी से मारा जाना बताया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र लात से मारपीट किये जाने का लेख है परंतु फरियादी अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के कथनों पर पूर्णतः स्थिर है। अतः घटना में प्रयुक्त किये गये हथियार के संबंध में साक्षी के कथनों में आये विरोधाभास तात्विक न होकर साधारण है जिससे अभियोजन कथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त अजाबराव ने फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

18 अभियुक्त द्वारा खेत पर मिट्टी गिरने के छोटे से विवाद पर से फरियादी की मारपीट करना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त

संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सूचनाकर्ता धर्मराज को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त अजाबराव को धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी. पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे घोर उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 23 अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही गांव के हैं। अभियुक्त के द्वारा उसके खेत पर मिट्टी गिर जाने के छोटे से विवाद पर फरियादी की मारपीट कर उसे घोर उपहित कारित की गयी है परंतु विगत पांच वर्षों से अभियुक्त विचारण का निरंतर सामाना कर रहा है। अतः प्रकरण के संपूर्ण

तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त अजाबराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एंव 500 / — रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत धर्मराज पिता दामजी गोंड, निवासी सोनतलाई, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)